Annexure-I

प्रारूप सं0 30

FORM – I

(For linear Projects)

Government of **Uttarakhand**

Office of the District Collector **Tehri Garhwal**

No. 699 /XXVI-34(2017-18) Dated .06/09/18.

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and forest (MoEF), Government of India letter No. 11-9/98-FC (pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having intiated and completed the process of settelement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act 2006 (FRA for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEFs letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **1.052 hact.** of forest land proposed to be deverted in favour of **Public Works Department, Kirtiangar** for **Construction of Chaundi to Simlasoo Bend waya Bhadli, Ghatdhar, Thankot Ghera Motor Road** in **Tehri Garhwal** District falls within jurisdiction of **Amilda (Tok-Chaundi, Marora, Jamti (tok- Bhadli, Ghatdhar, Thankot), Khandi (Tok-Ghera)** Villages in **Jakhanidhar** tehsils.

It is further certified that:

a) the complete process for indetification and settlement of right under it FRA has been carried out for the entire **1.052 Hac.** of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consultation and meetings of the forest Rights Committees, Gram Sabha, Sub Division Level Committees and the District Level Committee are enclosed as annexure **30** to annexure 30.2
b) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabha have given their consent to it.
c) the proposal does not invole recognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural Communities.

Encl: As above

Signature

(सोनिका)

(जिला अधिकारी)

Distt. Collector

टिहरी गढ़वाल

It is further certified that – Minutes of meeting of **Chaundi to Simlasoo Bend waya Bhadli, Ghatdhar, Thankot Ghera Motor Road** (5.275 km.) regarding FRA is as following.

Sr. No.		Remarks
(a)	The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **1.052 Hectares** of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meeting of the forest rights committee(s), Gram (s), Sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure to annexure.	Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to schedules tribes and other traditional forest Dwellers.
(b)	The Diversion of Forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram have given their consent to it.	Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to schedules tribes and other traditional Forest Dwellers. No objection certificate of concerned villages regarding construction of aforesaid motor road is attached.
(c)	The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.	Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to schedules tribes and other traditional Forest Dwellers.

प्रतिहस्ताक्षरित

जिला पंचायत सदस्य
टिहरी गढ़वाल
जिला पंचायत सदस्य
जामटी, वि० ख०-देवप्रयाग
जिला-टिहरी गढ़वाल

जिला समाज कल्याण अधिकारी
टिहरी गढ़वाल
जिला समाज कल्याण अधिकारी
टिहरी गढ़वाल

प्रभागीय वनाधिकारी
टिहरी वन प्रभाग
नई टिहरी
प्रभागीय वनाधिकारी

प्रतिहस्ताक्षरित

जिलाधिकारी
टिहरी गढ़वाल

Signature

( )

Distt. Collector

OFFICE OF THE DISTRICT COLLECTOR
DISTRICT TEHRI GARHWAL (UTTARAKHAND)

Proceeding of the meeting of the District Level Committee constituted under Schedule Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights) Act (FRA) 2006.

A meeting of the District Level Committee Tehri Garhwal District. Constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Smt (सोनिका) I.A.S. District Collector Tehri Garhwal at New Tehri in which the applicant claiming rights in **Devprayag** Block area measuring **1.052 Hectare** for the construction of **Chaundi to Simlasoo Bend waya Bhadli, Ghatdhar, Thankot Ghera Motor Road** in Tehsil **Jakhanidhar** of forest land under FRA 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the Sub Division Level Committee of ………………………..……. Sub Division were discussed to consider the same for admission by the District Level Committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions no objection/claims were found to have been made and hence District Level Committee recommended the above case for diversion for land for the said purpose.

(सोनिका)
जिला अधिकारी

Place :- Tehri

District Collector Cum chairman

District Tehri Garhwal
New Tehri

प्रपत्र–

परियोजना का नामः– जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र देवप्रयाग के अंतर्गत चौण्डी, भदली, घटधार, थानकोट, घेरा होते हुए ग्राम सिमलासू बैण्ड़ तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (लम्बाई 5.275 कि0मी0)।

कार्यालय उप जिलाधिकारी जाखणीधार
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत

प्रमाण–पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति,

उपखण्ड **जाखणीधार** परिक्षेत्र के अन्तर्गत **चौण्ड़ी, भदली, घटधार, थानकोट, घेरा होते हुए ग्राम सिमलासू बैण्ड़ तक मोटर मार्ग** (0.569 हे0 आरक्षित वन भूमि, 0.483 हे0 सिविल सोयम भूमि, शून्य वन पंचायत भूमि) अर्थात कुल 1.052 हे0 वन भूमि का **लोक निर्माण विभाग कीर्तिनगर** प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील **जाखणीधार**) की दिनांक 10/11/17 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरणः–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री ~~श्री~~ मती नुपुर वर्मा, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1–	नुपुर वर्मा	उपजिलाधिकारी	अध्यक्ष
2–	बी० के० सिंह	उप प्रभागीय वनाधिकारी	सदस्य
3–	[illegible]	सहायक समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य / सचिव
4–	बीनादेवी, जशोदा देवी, अतर सिंह रावत [illegible]	बी0डी0सी0 क्षेत्र चौंड जसपुर, दशोली स्यूटा, जामटी	सदस्य बीनादेवी, जशोदा देवी [illegible]

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि **चौण्ड़ी, भदली, घटधार, थानकोट, घेरा होते हुए ग्राम** सिमलासू बैण्ड़ तक मोटर मार्ग परियोजना हेतु 1.052 **हे0** वन भूमि **लोक निर्माण विभाग कीर्तिनगर** प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुसंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, रानीचौरी उप वन प्रभाग द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड **जाखणीधार** परिक्षेत्र के अन्तर्गत **चौण्ड़ी, भदली, घटधार, थानकोट,घेरा होते हुए ग्राम सिमलासू बैण्ड़** तक मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु 1.052 हे0 वन **भूमि लोक निर्माण विभाग** कीर्तिनगर प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील–..........
जनपद ....
उप जिलाधिकारी
जाखणीधार
टिहरी गढ़वाल।

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, टि0 ग0 .... को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील–..........
उप जिलाधिकारी
जाखणीधार
टिहरी गढ़वाल।

जनपद टि0 ग0

परियोजना का नामः– जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र देवप्रयाग के अंतर्गत चौण्डी, भदली, घटधार, थानकोट, घेरा होते हुए ग्राम सिमलासू बैण्ड तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (लम्बाई 5.275 कि0मी0)।

दिनांक 10/11/17 उपखण्ड स्तरीय समिति की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

जनपद– टि0ग0

1.	श्री मति नुपुर वर्मा	उपजिलाधिकारी	अध्यक्ष	[signature] उप जिलाधिकारी जाखणीधार टिहरी गढ़वाल।
2.	श्री बी. के सिंह	उप प्रभागीय वनाधिकारी	सदस्य	[signature] उप प्रभागीय वनाधिकारी रानीचौरी उप वन प्रभाग
3.	श्री भुवनचन्द्र थपलियाल	सहायक समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य / सचिव	स० वि० क० वि० ख० देवप्रयाग टि० ग० [signature]
4.	श्री बीना देवी जशोदा देवी अतर सिंह रावत मारकण्डे	बी0डी0सी0 क्षेत्र पाँ जसपुर दशोली स्यूट। जागटी वि (ख देवप्रयाग) टिहरी	सदस्य बीनादेवी जशोदादेवी [signature]	

[signature]

सहायक अभियन्ता
अ0ख0, लो0नि0वि0
कीर्तिनगर (मु0–देवप्रयाग)

73

परियोजना का नामः– जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र देवप्रयाग के अंतर्गत चौण्ड़ी, भदली, घटधार, थानकोट, घेरा होते हुए ग्राम सिमलासू बैण्ड़ तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (लम्बाई 5.275 कि0मी0)।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम– अमिन्डा

तहसील जाखणीधार जिला टिहरी गढ़वाल

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद **टिहरी गढ़वाल** के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के अंतर्गत चौण्ड़ी, भदली, घटधार, थानकोट, घेरा होते हुए ग्राम सिमलासू बैण्ड़ तक मोटर मार्ग की परियोजना के निर्माण हेतु (0.569 हे0 आरक्षित वन भूमि, 0.483 हे0 सिविल सोयम भूमि, 0.00 वन पंचायत भूमि) अर्थात कुल 1.052 हे0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग **कीर्तिनगर** के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत अमिन्डा द्वारा दिनांक 13-5-2017 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम अमिन्डा के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लोक निर्माण विभाग कीर्तिनगर प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ग्राम सचिव

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत अमिन्डा
वि0ख0 ...... टिहरी गढ़वाल

सहायक अभियन्ता
अ0ख0, लो0नि0वि0
कीर्तिनगर (म0–देवप्रयाग)

ग्राम प्रधान
अमिन्डा

दिनांक 13/05/2017 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
	~~कमल~~ कमल सिंह	कमल सिंह
	भारोसी देवी	भारोसी
	चन्द्रे	चन्द्रे
	नारण सिंग	नारण
	साकला	साकला
	गुड्डु	गुड्डु
	सोपती	सोपती
	दर्शनी देवी	नि० अं० दर्शनी देवी
	माया देवी	नि० अं० माया देवी
	[illegible] उनियाल	[illegible]
	दाता [illegible]	[illegible]

[signature]

सहायक अभियन्ता
लो०नि०वि०
कीर्तिनगर (टि०-देवप्रयाग)

ह०/-
ग्राम प्रधान

परियोजना का नाम:— जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र देवप्रयाग के अंतर्गत चौण्डी, भदली, घटधार, थानकोट, घेरा होते हुए ग्राम सिमलासू बैण्ड़ तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (लम्बाई 5.275 कि0मी0)।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण—पत्र

ग्राम पंचायत का नाम— मरोड़ा

तहसील जाखणीधार जिला टिहरी गढ़वाल

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद **टिहरी गढ़वाल** के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के अंतर्गत चौण्ड़ी, भदली, घटधार, थानकोट, घेरा होते हुए ग्राम सिमलासू बैण्ड़ तक मोटर मार्ग की परियोजना के निर्माण हेतु (0.569 हे0 आरक्षित वन भूमि, 0.483 हे0 सिविल सोयम भूमि, 0.00 वन पंचायत भूमि) अर्थात कुल 1.052 हे0 वन भूमि का लोक निर्माण **विभाग कीर्तिनगर** के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत मरोड़ा द्वारा दिनांक 21-12-16 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम मरोड़ा के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लोक निर्माण विभाग कीर्तिनगर प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम सचिव ग्राम पंचायत मरोड़ा
क्षेत्र पंचायत जाखणीधार
जिला टिहरी गढ़वाल

ग्राम प्रधान

प्रधान ग्राम पंचायत मरोड़ा
ह०
दिनांक........
जाखणीधार (टिहरी गढ़वाल)

सहायक अभियन्ता
लो0नि0वि0
कीर्तिनगर (देवप्रयाग)

दिनांक 21-12-16 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत मरोड़ा

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	उतम सिंह S/o कुलाल सिंह	उत्तमसिंह
2	अबल सिंह S/o " "	Abal Singh
3	सबल सिंह S/o " "	सबलसिंह
4	हरी सिंह S/o शेरा सिंह	हरीसिंह
5	कपूर सिंह मन्द्रवाल S/o मोद सिंह	[illegible]
6	बलवीर सिंह S/o गुलाब सिंह	बलवीर सिंह
7	अतरसिंह S/o स्व० श्री रामसिंह	[illegible]
8-	बीरसिंह S/o स्व० सुन्दर सिंह	बीरसिंह
9-	प्रेम लाल S/o गुन्दु मिस्त्री	प्रेमलाल
10	पुरन सिंह S/o कल्याण सिंह	पूरनसिंह
11-	प्रकाश सिंह S/o सुन्दर सिंह	[illegible]
12-	किशोरी लाल S/o बच्चू मिस्त्री	किशोरी लाल
13-	देव सिंह S/o ध्यान सिंह	देवसिंह
14-	हीरा मणी S/o राम प्रसाद	हीरामणि
15-	केवल सिंह S/o चन्दन सिंह	केवल सिंह
16-	खेम सिंह S/o सुन्दर सिंह	खेमसिंह
17-	राम सिंह S/o काला सिंह	राम सिंह
18-	लखन सिंह S/o मोहरसिंह	लखनसिंह
19-	रणबीर सिंह S/o " "	रणवीर सिंह
20-	पुरनु लाल S/o जन्चु लोहार	[illegible]
21-	अमर सिंह S/o मदन सिंह	अमरसिंह
22-	कलम सिंह S/o लाल सिंह	[illegible]
23-	खेम सिंह S/o रणजीत सिंह	खेम सिंह
24-	मथपाल सिंह S/o मोद सिंह	[illegible]

सहायक अभियन्ता
ग्रा०नि०/ख०वि०
कीर्तिनगर

ह०/–
ग्राम प्रधान

77

परियोजना का नामः– जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र देवप्रयाग के अंतर्गत चौण्डी, भदली, घटधार, थानकोट, घेरा होते हुए ग्राम सिमलासू बैण्ड़ तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (लम्बाई 5.275 कि0मी0)।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम– जामटी

तहसील जाखणीधार जिला **टिहरी गढ़वाल**

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद **टिहरी गढ़वाल** के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के अंतर्गत **चौण्ड़ी, भदली, घटधार, थानकोट, घेरा होते हुए ग्राम सिमलासू बैण्ड़ तक मोटर मार्ग** की परियोजना के निर्माण हेतु **(0.569** हे0 आरक्षित वन **भूमि, 6.483 हे0 सिविल सोयम भूमि, 0.00 वन** पंचायत **भूमि) अर्थात कुल 1.052** हे0 वन भूमि का **लोक** निर्माण **विभाग कीर्तिनगर** के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत जामटी द्वारा दिनांक 16/04/17 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम जामटी के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि **लोक निर्माण विभाग कीर्तिनगर** प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

16/04/17

ग्राम सचिव

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत
वि0ख0 .... टिहरी गढ़वाल

ग्राम पंचायत जामटी
ग्राम प्रधान

सहायक अभियन्ता
अ0खं0, लो0नि0वि0
कीर्तिनगर

दिनांक 16/04/17 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	[illegible] राम	[illegible]
2	कालिका प्रसाद पन्त	[illegible]
3	नागेन्द्र प्रसाद पन्त	N.P. Pant
4	प्रभु लाल	[illegible]
5	मूर्तिराम पन्त पानकोट	[illegible]
6	ज्योति प्रसाद	ज्योति प्रसाद
7	लक्ष्मी प्रसाद	लक्ष्मी प्रसाद
8	कुन्दन लाल	कुन्दन लाल
9	गोविन्द राम	सुरेन्द्र पन्त
10	किशोरी लाल	गोविन्द राम
11	गणेश पन्त	गणेश पन्त
12	रमेश प्रसाद	[illegible]
13	तारा देवी	
14	पैशी देवी	पैशी
15	राजेन्द्र प्रसाद	[illegible]
16	सीता राम	[illegible]
17	चन्द्र[illegible]	[illegible]

सहायक अभियन्ता लो०नि०वि० [illegible] कीर्तिनगर [illegible] (टि०—देवप्रयाग)

ह0/—
ग्राम प्रधान

79

परियोजना का नाम: चौण्डी घेरा जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र देवप्रयाग के अंतर्गत चौण्डी, भदली, घटधार, थानकोट, घेरा होते हुए ग्राम सिमलासू बैण्ड़ तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (लम्बाई 5.275 कि0मी0)।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम– खांडी

तहसील जाखणीधार जिला **टिहरी गढ़वाल**

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद **टिहरी गढ़वाल** के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के अंतर्गत **चौण्ड़ी, भदली, घटधार, थानकोट, घेरा होते हुए ग्राम सिमलासू बैण्ड़ तक मोटर मार्ग** की परियोजना के निर्माण हेतु (0.569 हे0 आरक्षित वन भूमि, 0.483 हे0 **सिविल सोयम भूमि**, 0.00 वन पंचायत भूमि) अर्थात कुल 1.052 हे0 वन भूमि का लोक निर्माण **विभाग कीर्तिनगर** के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत खांडी द्वारा दिनांक 10/8/17 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम घेरा - खटवड़ी के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि **लोक निर्माण विभाग कीर्तिनगर** प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ग्राम सचिव

ग्राम प्रधान
दीपा देवी

सहायक अभियन्ता
लो0नि0वि0
देवप्रयाग

दिनांक 10/05/17 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत - खांदी

कमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
(1)	परि पूर्णानन्द S/o हरिनन्द	परि पूर्णानन्द
(2)	दिव्यारामु S/o चन्द्र बल्लभ	दिव्यारामु
(3)	सुन्दर लाल S/o चन्द्र बल्लभ	सुन्दरलाल
(4)	चरणी राम S/o संतेस्वर	Ram
(5)	शंकर मणि S/o बाचस्पति	शंकर मणि
(6)	कुशलानन्द S/o बाचस्पति	कुशलानन्द
(7)	परमानन्द S/o संतेस्वर	परमानन्द
(8)	गोविन्द राम S/o हरिनन्द	गोविन्दराम
(9)	किशोरी लाल S/o खिलानन्द	किशोरी लाल
(10)	~~[illegible]~~ S/o ~~[illegible]~~	~~[illegible]~~
(11)	जगदीश प्रसाद उर्फ सीताराम मिश्र S/o हरिनन्द	जगदीश प्रसाद
(12)	जगतराम मिश्र S/o हरिनन्द	जगत राम
(13)	देवेन्द्र प्रसाद मिश्र S/o बाचस्पति	देवेन्द्र प्रसाद
(14)	प्रभु लाल मिश्र S/o खिलानन्द	Pbhulal
(15)	बद्री प्रसाद मिश्र S/o श्रीनन्द	बद्री प्रसाद

सहायक अभियन्ता
[illegible] ग्रा०नि०वि० [illegible]
कीर्तिनगर (म०-देवप्रयाग)

ह० / –
ग्राम प्रधान
दीपा देवी

प्रधान ग्राम पंचायत खांदी